75

निग/2819/II/15

रीवा
II/2819/15

न्यायालय समक्ष राजस्व मंडल म. प्र., ग्वालियर, सर्किट कोर्ट रीवा

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs. 201—

275
24.7.15

1. रत्नाकर प्रसाद शुक्ला तनय परसुराम शुक्ला निवासी ग्राम सहलोलवा थाना सोहागी तहसील त्योंथर जिला रीवा म. प्र. .... आवेदक

बनाम्

1. श्री राधेश्याम शुक्ला तनय परसुराम शुक्ला निवासी ग्राम सहलोलवा थाना सोहागी तहसील त्योंथर जिला रीवा म. प्र.
2. शासन म. प्र. .... अनावेदकगण

श्री केशव प्रसाद पटेल एड के द्वारा आज दिनांक 24-7-15 प्रस्तुत किया गया।
24.7.15
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरूद्ध पुष्टीकरण सीमांकन आदेश, राजस्व निरीक्षक मंडल चाकघाट तहसील त्योंथर (प्रदत्त अधिकार तहसीलदार) दिनांक 16.05.2015 जरिए प्रकरण क्र. 51 अ 12/14—15 बावत सीमांकन भूमि खसरा क्र. 15/2क रकवा 0.256 हे. स्थित ग्राम सहलोलवा, निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म. प्र. भू. रा. संहिता वर्ष 1959

मान्यवर,

पुनरीक्षण याचिका के आधार निम्नलिखित है:—

1. यहकि मातहत अधिकारी (प्रदत्त अधिकार तहसीलदार) द्वारा सम्पन्न की गई सीमांकन कार्यवाही दिनांक 15.05.2015 एवं पुष्टीकरण आदेश दिनांक 16.05.2015 खिलाफ विधि प्रक्रिया एवं शहादत के होने से काबिल निरस्तगी है।

2. यहकि मातहत अधिकारी राजस्व निरीक्षक (प्रदत्त अधिकार तहसीलदार) ने इस कानूनी एवं वाक्याती बिन्दु पर कतई गौर नहीं

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R-2819—दो—.2015 **जिला रीवा**

स्थान तथा दिनांक	.कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2-3-2016	यह निगरानी राजस्व निरीक्षक चाकघाट तहसील त्योंथर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 51/अ—12/14—15 में पारित आदेश दिनांक 16.05.15 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी है। 2/ प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री मृत्युंजय प्रसाद द्विवेदी उपस्थित। उन्हें प्रकरण में ग्राहयता पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया गया तथा निगरानी मेमों में अंकित तथ्यों का अवलोकन एवं परिशीलन किया गया। आवेदक अधिवक्ता के तर्को एवं निगरानी मेमों में अंकित तथ्यों के संदर्भ में निगरानी मेमो के संलग्न अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित आदेश की प्रमाणित प्रति का परिशीलन किया गया। 3/ अवलोकन से पाया गया कि आवेदक द्वारा निगरानी ममो में यह अंकित किया गया है कि सीमांकित भूमियों से लगी हुई उसकी भूमि कमांक 15/3 रकबा 0.238 है. हैं जिसमें अनावेदक का 6—7 डि. रकबा सीमांकन में निकाल दिया गया है। उक्त सीमांकन की आवेदक को कोई सूचना नहीं दी गयी और न ही इस संबंध में उसे बताया ही गया जबकि वह सरहदी कृषक था जिसे संहिता की धारा 129 में निहित प्रावधानों के अनुसार सूचना दी जाना चाहिए थी। इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा वही तर्क प्रस्तुत किए गये जो निगरानी मेमो में अंकित है जिन्हें यहां पुनरांकित न किया जाकर उन पर विचार किया जा रहा है। 4/ प्रकरण के संलग्न सीमांकन संबंधी अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि आम सूचना दिनांक 13.05.15 को प्रकाशित की गयी जिस पर आवेदक के हस्ताक्षर नहीं है वहीं स्थल पंचनामा दिनांक 15.5.15 पर भी आवेदक के हस्ताक्षर नहीं है किन्तु स्थल पंचनामा दिनांक 15.5.15 में यह टीप अंकित है कि सरहदी कृषक रत्नाकर शुक्ला को सूचना दिनांक 13.5.15 को दी गयी थी किन्तु वे	

प्रकरण कमांक R-2819–दो–.2015 **जिला रीवा**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

सीमांकन के समय उपस्थित नहीं हुए। स्थल पंचनामा पर इस तथ्य की पुष्टि के संबंध में कुछ लोगों के जिनमें राधेश्याम, बृजेन्द्र कुमार, ज्ञानेन्द्र प्रसाद, छदम्मीलाल, सुधाकर आदि के हस्ताक्षर है जिससे यह तो पुष्टि होती है कि आवेदक को सीमांकन की सूचना दी गयी थी किन्तु वह जानबूझ कर सूचना उपरांत उपस्थित नहीं हुआ। सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 15.5.15 के अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि सीमांकन के समय कोई आपत्ति नहीं आई। दिनांक 16.5.15 को आवेदक रत्नाकर प्रसाद द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर यह आपत्ति उठायी कि दिनांक 15.5.15 को सीमांकन बिना सूचना दिए किया गया है जो गलत है पुनः मौके पर चल कर मुझे सीमांकन के संबंध में समझाया जावे। तहसीलदार द्वारा आवेदक की आपत्ति यह अंकित करते हुए निरस्त की गयी है कि सीमांकन के समय कोई आपत्ति प्राप्तनहीं हुई और यदि आपत्तिकर्ता रत्नाकर शुक्ला को इस सीमांकन से कोई आपत्ति है तो वह अपनी भूमि का सीमांकन करवा लें।

5/ सम्पूर्ण विचार उपरान्त मैं प्रकरण में निम्न बिन्दु प्रमुखता से विचार योग्य पाता हूँ :–

(1) निगराकार रत्नाकर को सूचना पत्र के अनुसार सूचना तामील नहीं थी ना ही सूचना पत्र में यह लिखा है कि रत्नाकर के सूचना पत्र पर हस्ताक्षर करने से इन्कार किया, भले ही पंचनामें में यह लिख दिया गया हो कि उन्हें सूचना दी गई थी, जबकि सीमांकन के पूर्व सरहदी कृषकों को सूचना दी जाना अनिवार्य है, और रत्नाकर सरहदी कृषक थे ।

(2) रत्नाकर ने आदेश दिनांक 16–5–15 को ही लिखित आपत्ती राजस्व निरीक्षक को दी थी, किन्तु उसमें सिर्फ यह लिखा था कि सीमांकन गलत किया गया है । राजस्व मण्डल में जो उन्होंने 6–7 डिसमिल उनके प्लॉट का रकबा सीमांकित भूखण्ड में शामिल हो गए होने का बिन्दु उठाया है, वह उन्होंने राजस्व निरीक्षक के समक्ष नहीं उठाया था । फिर भी यदि सरहदी कृषक को बगैर सूचना सीमांकन हो गए होने के केवल मात्र आधार पर भी सीमांकन गलत होना माना जाता हो, तो वह भी गलत नहीं होगा ।

प्रकरण कमांक R-2819–दो–.2015 **जिला रीवा**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
रत्नाकर	राधेश्याम, शाक्य	

6/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में मैं आक्षेपित सीमांकन आदेश दिनांक 16–5–15 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं पाता हूँ और निरस्त करता हूँ।

साथ ही तहसीलदार त्योंथर को यह निर्देश देता हूँ कि वे इस प्रकरण कमांक 51/अ–12/14–15 में रत्नाकर सहित सभी सरहदी कृषकों और हितबद्ध पक्षकारों को विधिवत (और अभिलेख पर स्पष्ट) सूचना एवं पक्ष समर्थन का अवसर देते हुए, नए सिरे से विधिवत मौके पर सीमांकन की कार्यवाही कराएं और प्रकरण में नए सिरे से आदेश पारित करें । तहसीलदार यह आदेश, उन्हें राजस्व मण्डल के इस आदेश की संसूचना के अधिकतम 45 दिन में पारित करें, जिसमें पक्षकार, सरहदी कृषक आदि उनका सहयोग करें ।

आदेश पारित ।
पक्षकार एवं तहसीलदार त्यौंथर सूचित हो ।
प्रकरण समाप्त ।
दा0 द0 हो ।

2.3.16

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य